

उ०प्र० शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या-- 2213/69-1-12-4(एल)/08टीसी-1
लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त किये जाने के उद्देश्य से संचालित राजीव आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

- | | |
|--|------------|
| 1. मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित निकाय में, सम्बन्धित क्षेत्र के मा० सांसद अथवा सांसद प्रतिनिधि। | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित नगरीय निकाय के मा० विधायक। | सदस्य |
| 4. नगरीय निकाय के मा० अध्यक्ष। | सदस्य |
| 5. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। | सदस्य/सचिव |
| 6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग। | सदस्य |
| 7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग। | सदस्य |
| 8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग। | सदस्य |
| 9. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग। | सदस्य |
| 10. प्रमुख सचिव, आवास विभाग। | सदस्य |
| 11. मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक। | सदस्य |
| 12. निदेशक, स्थानीय निकाय। | सदस्य |
| 13. निदेशक, सूडा। | सदस्य |

2. उक्त समिति द्वारा राजीव आवास योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित उद्देश्यों के दृष्टिगत परियोजनाओं की स्वीकृति तथा समीक्षा मा० अध्यक्ष के यथानिर्देश आयोजित बैठकों में की जायेगी।

DD

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

30/1/13

संख्या- २२१३ (१)/६९-१-१२-४(एल)/०८टीसी-१, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित नगर के मा० सांसद/मा० विधायक
4. नगरीय निकाय के मा० अध्यक्ष।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग/पर्यावरण विभाग/न्याय विभाग/आवास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
10. बजट समन्वयक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)
उपसचिव।